

उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र
(भा०कृ०अ०प०-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान)
गड़सा, कुल्लू (हि.प्र.)-175141 दूरभाष: 01902-272231

क्रमांक: 7(27)एम/2के/वोल-2/

दिनांक: 20.07.2020


नीलामी सूचना

इस केन्द्र पर उपलब्ध अंगोरा खरगोशों की ऊन खुली बोली के आधार पर निम्नलिखित दिनांक एवं समय को नीचे उल्लेखित नियम एवं शर्तों प नीलाम की जायेगी इच्छुक बोलीदाता निर्धारित दिवस की नीलामी में उपस्थित होकर बोली लगायें।

क्रम संख्या	सामान का विवरण	अनुमानित मात्रा	साई राशि	निविदा खोलने की तिथि व समय
1	निविदा द्वारा अंगोरा ऊन की नीलामी	250 किलोग्राम	10000 रुपये	13.08.2020/2.30 बजे (अपराह्न)

नियम एवं शर्तें:

1. बोलीदाता को अपने साथ अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा।
2. बोलीदाता को बोली लगाने हेतु निर्धारित साई राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। साई राशि के अभाव में बोलीदाता बोली में भाग नहीं ले सकता।
3. साई राशि बतौर बैंक ड्राफ्ट जो कि अध्यक्ष, उ. शी. क्षे. के. के नाम पर भारतीय स्टेट बैंक भुंतर पर देय हो ही स्वीकार किया जायेगा, नगद राशि स्वीकार नहीं कि जायेगी।
4. नीलामी अधिकतम बोलीदाता के नाम सक्षम अधिकारी जी की अनुमति पर की जायेगी।
5. बोलीदाता सामान का निरीक्षण बोली आरम्भ होने से पूर्व कर सकता है, सफल बोलीदाता को सामान जिस हालत में है उसी हालत में उठाना होगा।
6. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करानी होगी, शेष 75 प्रतिशत राशि सामान प्राप्त से पूर्व जमा करानी होगी।
7. बोली समाप्ति पर सफल बोलीदाता के अतिरिक्त सभी की साई राशि लौटा दी जायेगी।
8. सामान की नीलामी पर सरकार द्वारा तय किसी भी प्रकार का देय टेक्स बोलीदाता को वहन करना होगा।
9. यदि किसी कारण वश उपरोक्त दिनांक को अवकाश होता है तो इस कार्य हेतु अगली दिनांक लागू होगी।
10. बोली के उपरांत सफल बोलीदाता द्वारा सामान की शेष राशि जमा नहीं कराने अथवा सामान नहीं उठाने पर बोलीदाता द्वारा जमा अमानत राशि/नीलामी की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा भविष्य के लिए नियमानुसार उन्हें ब्लेकलिस्ट कर दिया जायेगा।
11. बोली से संबन्धित अन्य शर्तें बोली आरम्भ होने से पूर्व सूचित कर दी जायेगी।
12. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र कुल्लू (हि.प्र.) होगा।
13. सक्षम अधिकारी को बिना बताये सामान की नीलामी में प्राप्त अधिकतम बोली को स्वीकार करने या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।


अध्यक्ष